न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 38 / 2009 (राजसमन्द डिक्री)

1. टीपूलाल पिता नाथूलाल जी ब्राहमण, निवासी टीकर, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. शान्तिलाल पिता नाथूलाल जी ब्राहमण, निवासी टीकर, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. त्रिलोक उर्फ तलोक पिता चमना जी ब्राहमण मृतक के बजाय :–

1 / 1. शंकरलाल पिता त्रिलोक उर्फ तलोक जी ब्राहमण, निवासी टीकर, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द, दिनांक 24–01–1990
प्रकरण संख्या 335 / 1989 वाद पत्र

———/———

उपस्थित(वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री डालचन्द जाट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 15–05–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में नाथूलाल व तलोक यानि की अपीलान्ट के पिता नाथूलाल व रेस्पोन्डेन्ट तलोक द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम दोनों भाईयों ने आपसी बंटवाड़ा कर दिया है एवं अलग–अलग काबिज हैं। ये जमीन पहले नाथूलाल के नाम थी अब हम हमारे दोनों भाईयों के नाम पर करवाना चाहते हैं और हम अलग–अलग नंबर पर काबिज हैं तथा इसके साथ स्टाम्प पर

लिखा हुआ इकरारनामा भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अतएवं प्रस्तुत इकरारनामे अनुसार हमारा विभाजन किया जावे।

उक्त आवेदन को पटवारी हल्का खाखरमाला द्वारा तस्दीक किया गया कि खाता नंबर 28/96 किता 15 रकबा 1.1100 नाथू तलोक पिता चमना के नाम दर्ज है, जिसका बंटवाड़ा प्रार्थीगण निम्नानुसार चाहते हैं तलोक पिता चमना के नाम कुल किता 8 रकबा 0.6300 हैक्टर एवं नाथूलाल पिता चमना के नाम कुल किता 7 रकबा 0.4800 हैक्टर दर्ज होगा। इस आशय का 20/– रूपये का स्टाम्प भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में पेश शुदा जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 में उक्त भूमि कोटेश्वर महादेव स्थान देह खातेदार उपकृषक नाथू पिता चमना का नाम 1/3 हिस्से से अन्य खातेदारान के साथ दर्ज रेकार्ड है।

अधिनस्थ न्यायालय में उक्त आवेदन दिनांक 29–06–1989 को पेश होकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नाथूलाल व तलोक दोनों के बयान लेने के बाद अपने निर्णय दिनांक 24–01–1990 से हस्ब राजीनामा भूमियों का विभाजन कर दिया, जिससे रूष्ट होकर नाथूलाल के वारिसान अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–04–2009 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता नाथू जी के नाम पर थी एवं वहीं इसके मालिक काबिज थे। उक्त भूमि से तलोक का कोई सम्बन्ध नहीं था। तलोक ने फर्जी बंटवारानाम तैयार कर नाथू के फर्जी अंगूठा लगाकर उक्त आदेश प्राप्त कर लिया, जो बिना अधिकार के है। कनसेन्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र केवल तहसीलदार को लाई होता है, उपखण्ड अधिकारी को कनसेन्ट के आधार पर बंटवारा करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। इस कारण यह अपील अन्दर मयाद पेश है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अब 20 वर्ष बाद उक्त बंटवाड़े को फर्जी बता रहा है, जो बिना आधार के होकर चलने योग्य नहीं है। पूर्व में चमना जी उपकृषक थे, जिसके पश्चात उनके दोनों पुत्र नाथू व तलोक उपकृषक बने, किन्तु राजस्व रेकार्ड

में बड़े भाई नाथू का नाम ही दर्ज हुआ, इसी कारण इन्द्राज दुरस्ती एवं बंटवाड़े का प्रार्थना पत्र नाथू द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस पत्रावली एवं नामान्तरकरण के आधार पर उक्त भूमियां रेस्पोन्डेन्ट के नाम दर्ज हुई है, उसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 10–11–2006 से पहले हो गयी थी, जब अपीलान्ट ने उक्त भूमियों को पुनः अपने नाम दर्ज कराने का घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सहायक कलेक्टर आमेट के यहां प्रस्तुत किया था, किन्तु उसमें सफलता नहीं मिलने पर तीन वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की है, जो मयाद बाहर होने से खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में यह स्पष्ट स्थिति है कि उक्त विभाजन का वाद अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–06–1979 को नाथू व तलोक दोनों द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट लेने के बाद विभाजन का वाद दिनांक 24–01–1990 को डिक्री किया है। सहमति के आधार पर सहायक कलक्टर का क्षेत्राधिकार विभाजन का निषिद्ध नहीं होता है। प्रकरण में जहां तक उम्र संबंधी लेखन की त्रुटि का प्रश्न है। इस त्रुटि को विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता, यह सद्भावी त्रुटि भी हो सकती है। अधिनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के समक्ष नाथू व तलोक ने स्टाम्प पर इकरारनामा बंटवाड़ा प्रस्तुत किया गया है, जिसे पटवारी द्वारा तस्दीक किया गया है तथा बयानों व आदेशिका पर हस्ताक्षर के बाद यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि कोई फर्जी नाथू अधिनस्थ न्यायालय में उपलब्ध रहा हो।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपीलान्ट इस आधार पर त्रुटि पूर्ण बताता है कि भूमियां कोटेश्वर महोदव जी के नाम दर्ज थी तथा अपीलान्ट के पिता उपकृषक थे। अपीलान्ट के पिता द्वारा स्वयं सहमति के आधार पर उक्त भूमियों में तलोक का हिस्सा माना गया है तथा उक्त भूमियों को उपकृषक होने से विभाजन योग्य माना था, तद्नुसार अब अपीलान्ट को उक्त विभाजन को विधि विरूद्ध कहने से विबंधित माना जायेगा। प्रकरण में अपीलान्ट का आचारण भी संदिग्ध है, क्योंकि यह स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा वर्ष 2006 में ही घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद

अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि उसे उक्त निर्णय की जानकारी वर्ष 2006 में हो चुकी थी, तो उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर उसके करीब 3 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो निसंदेह अपीलान्ट की मयाद कण्डोन किये जाने के लिए अपीलान्ट को विबंधित करता है।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मयाद बाबत् न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1992 पेज 17, आर.आर.डी. 1992 पेज 241 एवं आर.आर.डी. 1992 पेज 337 प्रस्तुत की गयी हैं, जो विधि विरूद्ध आदेश के विरूद्ध कोई मयाद नहीं होने से संबंधित हैं, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विरूद्ध विरूद्ध माने जाने का कोई आधार अपील स्तर पर उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार उक्त नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरें ए.आई.आर. 1987 सुप्रिम कोर्ट पेज 1353, आर.बी.जे. (11) 2004 सुप्रिम कोर्ट पेज 286 एवं आर.बी.जे. (13) 2006 हाई कोर्ट पेज 796 प्रस्तुत की गयी है, जो मयाद के आधार पर नरम रूख अपनाने से संबंधित हैं। प्रस्तुत प्रकरण में जानकारी के 3 वर्षो तक अपीलान्ट द्वारा मौन रहने को कण्डोन किये जाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार उक्त नजीरें भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

प्रकरण में अपील प्रथम दृष्टया अवधि बाधित होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है, फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगण अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात को देखा गया। अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि नाथू नाम का फर्जी व्यक्ति पेश किया गया है, किन्तु अपीलान्ट का उक्त उजर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रमाणित है। सहमति बंटवाड़े के आधार पर सहायक कलक्टर के यहां अपील लाई नहीं होती हो, हम अपीलान्ट के इस कथन से भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि बंटवाड़े का क्षेत्राधिकार धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर को है तथा सहमति विभाजन होने पर क्षेत्राधिकार तहसीलदार को भी होता है, परन्तु सहमति विभाजन में सहायक कलक्टर की क्षेत्राधिकारिता समाप्त हो जाती हो, ऐसा हम नहीं मानते।

प्रकरण में अपीलान्ट का यह उजर कि बंटवाड़े में तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होता है एवं इस बाबत् न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. (8) 2001 पेज 176, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 403 एवं आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 721 प्रस्तुत की है। उक्त नजीरों का हम सम्मान करते हैं, परन्तु तहसीलदार को विभाजन के वाद में पक्षकार इसलिए बनाया जाता है कि लगान का विधिवत विभाजन हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन का वाद डिक्री करने के 20 वर्षो बाद इस तरह के तकनीकी आधारों पर सहमति तथ्यों को पुनः विवाद के आधार बनाये जाने का कोई आधार नहीं है, तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात के आधार पर भी हम अपीलान्ट की अपील पोषणीय नहीं पाते हैं।

उपरोक्त समग्र विवेचन से अपील बेरून मयाद एवं पोषणीय नहीं होने से सारहीन होकर खारिज योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–01–1990 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–05–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

टीपूलाल पिता नाथूलालजी ब्राहमण, निवासी टीकर, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **त्रिलोक उर्फ तलोक मृतक के बजाय शंकरलाल पिता त्रिलोक उर्फ तलोक ब्राहमण, निवासी टीकर, तह0 आमेट, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**38 / 2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**24**.....माह.....**01**.....**1990**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**15**.....माह.....**05**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री डालचन्द जाट**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–01–1990 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**15**.....माह.....**05**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।